

**हरियाणा सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना**

दिनांक ,2021

संख्या .- चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अन्तरराज्यिक यातायात के अबाधित तथा सीवनहीन संचालन उपलब्ध कराने की दृष्टि से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच माल वाहन तथा मंजिली गाड़ी के परिचालन के लिए पारस्परिक सामूहिक परिवहन करारनामा करना प्रस्तावित है।

इसलिए, अब, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 59), की धारा 88 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा उक्त धारा की उप धारा (5) यथा अपेक्षित उन व्यक्तियों जिनको इससे प्रभावित होने की सम्भावना है के लिए पारम्परिक करारनामों का प्रारूप प्रस्ताव प्रकाशित करते हैं;

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि सरकार, प्रारूप पारस्परिक करारनामे पर, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग द्वारा प्रारूप पारस्परिक करारनामे के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं।

दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच संयुक्त मंजिली तथा अनुबंध कैरिज पारस्परिक सामूहिक परिवहन करारनामा का प्रारूप

चूंकि क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 2.1 में यथा परिभाषित और समय-समय पर संशोधित अनुलग्नक-क पर हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली अर्थात् दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ लगते हुए राज्यों के हिस्सों से मिलकर बनने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, इन राज्यों के मध्य अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पारस्परिक सामूहिक मंजिली गाड़ी तथा अनुबंध कैरिज करारनामों द्वारा सड़कों पर अन्तरराज्यिक यातायात के अनिर्बन्धित और निर्बाध आवागमन, प्रदूषण को कम करने तथा बाधाओं/भीड़भाड़ को दूर करने के उद्देश्य को प्राप्त करने की सख्त आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक क्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र अनुलग्नक-॥ पर है।

इसलिये अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारें एतद्वारा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर सहमत हैं:-

यह करारनामा 31 अगस्त, 2021 को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश (जिस अभिव्यक्ति में उनके पदासीन उत्तराधिकारी/ समनुदेशिती सम्मिलित हैं) की सरकारों के मध्य किया गया है;—

चूँकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के त्वरित आर्थिक विकास और पर्यावरण को दृष्टिगत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों के अन्तर्राज्यिक यातायात के अनिर्बन्धित और निबार्ध आवागमन को प्रोत्साहित करने और उनके संचालन को विनियमित करने हेतु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक राज्यों अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र—दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य और उनके माध्यम से पारस्परिक सामान्य करारनामा करना आवश्यक है;—

और चूँकि, इससे सम्बद्ध पक्षकार सहमत हो गए हैं कि यह करार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए इस विषय के सम्बन्ध में उनके मध्य पूर्व में हुए सभी करारों का अधिक्रमण है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए लागू अन्य समस्त करारों पर इस करार का अध्यारोही प्रभाव होगा।

अब यह विलेख साक्षी है और उक्त पक्षकार, इसके द्वारा, पारस्परिक रूप में निम्नलिखित रूप में सहमत हैं :—

1. यह करार एन.सी.आर.पी.बी द्वारा हस्ताक्षरित करार जारी होने पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। क्षेत्र में यान के संचालन के लिए माननीय न्यायालय के विशिष्ट आदेशों/निर्देशों का पालन³ करना होगा।

2. मंजिली गाड़ी परमिट/अनुज्ञप्ति

2.1 दिल्ली और राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य अन्तर्राज्यिक मार्गों पर मंजिली गाड़ियों के प्रचालनों से सम्बन्धित पारस्परिक करार अनुलग्नक— “क” से “च” के अनुसार होगा, जो नीचे 2.7 के अध्याधीन है। भविष्य में वाहनों के फेरों की संख्या का विनिश्चय, समय-समय पर यातायात की आवश्यकता/मांग के अनुसार सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा आपसी सहमति से किया जाएगा।

-
1. अन्तर्राज्यिकयातायात की अप्रतिबन्धित आवाजाही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रजिलों में पंजीकृत वाहनों की आवाजाही है, जो बाधाओं/सीमाओं पर रुके बिना है।
 2. अन्तर्राज्यिकयातायात की निर्बाध आवाजाही या तो यात्रा के तरीके को बदले बिना या यात्रा के प्रदर्शन में मोड़ के बीच त्वरित और कुशल स्थानान्तरण के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्री वाहनों की आवाजाही है।
 3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रमें विभिन्न अवसरों पर वाहनों की आवाजाही से सम्बन्धित माननीय सर्वोच्च/ उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों को इस समझौते में सम्बन्धित राज्य के लिए लागू उनके उल्लेख के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रमें लागू किया जायेगा।

2.2 इस करार के प्रयोजनार्थ किसी फेरे का तात्पर्य प्रतिदिन एक फेरे से है। अनुलग्नक—क, ख, ग, घ, ङ. और च में उल्लिखित मार्गों का तात्पर्य सदैव दोनों राज्यों में स्थित उनमें उल्लिखित स्थानों से होकर जाने वाले दोनों टर्मिनलों को जोड़ने वाले सबसे छोटे सीधे मार्गों से है। रोजाना मासिक टिकट यात्रियों को ले जाने वाली मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में दिल्ली में चढ़ने और उतरने वाले बिन्दुओं की संख्या राज्यों के मध्य पारस्परिक/द्विपक्षीय करारों के अनुसार होगी। उक्त अनुलग्नक में दर्शाए गए मार्गों के नाम या लम्बाई में बाद में पायी गयी किसी विसंगति को व्यतिकारी राज्यों के मध्य पत्राचार के माध्यम से तत्परतापूर्वक ठीक किया जायेगा और उसे करार में किसी प्रकार का उपान्तरण नहीं समझा जाएगा।

2.3 अनुलग्नक "क" से "च" के अनुसार चलायी जाने वाली मंजिली गाड़ियों की समय सारिणी सम्बन्धित राज्य परिवहन प्राधिकरण/संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा नियत की जाएगी।

2.4 सम्बन्धित राज्य द्वारा चलायी जाने वाली बसों के लिए सम्बन्धित राज्यों द्वारा नियत की गयी दरों के अनुसार यात्री किराये प्रभारित किये जाएंगे।

2.5 इन राज्यों की मंजिली गाड़ी परमिट/अनुज्ञप्ति पर हस्ताक्षर इस सामान्य करार के प्रैरा-4 के अधीन लागू कर के आधार पर किया जाएगा।

2.6 यदि किसी कारण से वैधता समाप्त होने से पूर्व परमिट/अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु किसी आवेदन-पत्र का विनिश्चय करना सम्भव न हो रहा हो तो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) की धारा 87(1)(घ) के अधीन गृह राज्य अस्थायी परमिट/अनुज्ञप्ति जारी कर सकता है।

2.7 सम्बन्धित राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा अपने राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मार्गों पर राज्य परिवहन उपक्रमों या उनके सहयोगी या राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरणों के अन्य निजी संचालकों के मंजिली गाड़ियों से भिन्न किसी मंजिली गाड़ी के लिए राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत मार्गों या क्षेत्र या उसके किसी भाग पर, योजना में की गई किसी व्यवस्था के अलावा, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे मार्ग(मार्गों) या क्षेत्र (क्षेत्रों) पर परमिट/अनुज्ञप्ति स्वीकृत या प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया जायेगा। परन्तु किसी भी खराबी या किसी आकस्मिक मामले में इन राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रम (या सम्बन्धित राज्य में उनके सहयोगी) समझौते के किसी मार्ग पर स्वयं के बड़े के किसी वाहन का संचालन कर सकेंगे।

2.8 सम्बन्धित राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समग्र सार्वजनिक मांग पर लिखित पारस्परिक करार द्वारा नए मार्गों पर मंजिली गाड़ियों की सेवाय जोड़ सकते हैं या किसी विद्यमान मार्ग पर फेरों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। सम्बन्धित राज्य द्वारा इस करार के अधीन लागू कर के अधीन ऐसी मंजिली गाड़ियों की सेवाओं के लिए परमिट/अनुज्ञप्ति का प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

2.9 मंजिली गाड़ियों के लिए कॉरीडोर व्यवस्था:

2.9.1 माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुशरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए यह कॉरीडोर व्यवस्था केवल यात्रियों की आवाजाही तक सीमित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य घटक राज्य भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य संघटक राज्यों के साथ पारस्परिक परामर्श से अन्तर्राज्यिक बस सेवाओं की आवाजाही के लिए समान कॉरीडोर को परिभाषित कर सकते हैं।

2.9.2 कॉरीडोर व्यवस्था के अधीन यातायात सबसे छोटे, सीधे और विनिर्दिष्ट मार्ग से ही सहभागी राज्यों में प्रवेश करेंगे तथा बाहर निकलेंगे।

2.9.3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संघटक राज्यों के मध्य इस करार में की गयी व्यवस्था से इतर कॉरीडोर व्यवस्था का लाभ लेने वाला यातायात राज्य के कॉरीडोर के भीतर यात्रियों को न चढ़ायेगा और न ही उतारेगा।

2.9.4 कॉरीडोर राज्य को, कॉरीडोर राज्य द्वारा तय किये गये मार्ग से गुजरने वाले यातायात के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार होगा।

3. ठेका गाड़ी परमिट/अनुज्ञप्ति

3.1 मोटर कैब/टैक्सी/आटो रिक्शा परमिट/अनुज्ञप्ति (गैर अस्थायी/गैर विशेष परमिट/अनुज्ञप्ति) पैरा 5.4 के अनुसार मानदंडों को पूर्ण करने वाली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकृत मोटर कैब/आटो रिक्शा के प्रति किसी एक राज्य द्वारा जारी ठेका गाड़ी परमिट/ अनुज्ञप्ति का दूसरे संघटक राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। ऐसे अन्य घटक राज्यों में, ऐसे वाहन अप्रतिबन्धित चल सकेंगे।

3.2 राज्य, जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहन पंजीकृत है, में परमिट/अनुज्ञप्ति फीस जमा करने पर अतिरिक्त परमिट/अनुज्ञप्ति फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यद्यपि इन वाहनों के परमिट/अनुज्ञप्ति के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।

3.3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आटो रिक्शा का अन्तर्राज्यिकसंचालन अनुलग्नक- III में दी गयी संख्या के अनुसार होगा। दिल्ली में आटो रिक्शा का अन्तर्राज्यिकसंचालन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनकी संख्या की सीमा में छूट के अधीन होगा।

3.4 मोटर कैब/आटो रिक्शा/टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी परमिट/ अनुज्ञप्ति (मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) के अधीन गैर अस्थायी परमिट, शैक्षणिक संस्थान बसें, जिनका उपयोग केवल शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों/स्टाफ को अपनी किसी भी गतिविधि के संबन्ध में परिवहन के उद्देश्य से किया जाता है, सहित मोटर कैब से भिन्न वाहनों जो पैरा 5.4 के अनुसार मानदंडों को पूर्ण करती हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रक्षेत्र में पंजीकृत है, के प्रति किसी एक राज्य द्वारा जारी ठेका गाड़ी परमिट/ अनुज्ञप्ति का दूसरे संघटक राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।

3.5 ठेका गाड़ी परमिट अनुज्ञप्ति (मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) के अधीन अस्थायी/विशेष परमिट/अनुज्ञप्ति) इन राज्यों के परिवहन प्राधिकारी द्वारा संख्या पर ध्यान न देते हुए यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना परमिट/अनुज्ञप्ति जारी किये जा सकते हैं। परमिट/अनुज्ञप्ति में प्रारम्भ और वापसी यात्रा को दर्शाते हुए वह क्रम, जिसमें विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया जाएगा, प्रत्येक स्थान से आगमन और प्रस्थान के समुचित दिनांक के संकेत के साथ यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम अन्तर्विष्ट होगा।

3.6 इस सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत इन राज्यों के ठेका गाड़ी परमिट/अनुज्ञप्ति इस करार के पैरा 4 में लागू कर के अधीन हस्ताक्षरित की जायेंगी।

4. कराधान

4.1 मंजिली गाड़ी एवं ठेका गाड़ी के लिए अनुज्ञप्ति/परमिट फीस/प्रतिहस्ताक्षर फीस का निर्धारण सभी संघटक राज्यों के सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी नीति के अनुसार किया जाएगा। यद्यपि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकृत किसी यान द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसी राज्य में एक बार कर जमा कर दिया हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालन हेतु बिना किसी फीस/कर या ऐसे किसी कर, जो अन्य नाम से पुकारा जाता हो, के बिना निम्न श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दूसरे घटक राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा:—

- (i) सभी मोटर कैब/टैक्सी/आटो रिक्शा।
- (ii) सभी शैक्षणिक संस्थान यान।
- (iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संघटक राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रमों की सभी मंजिली बसें (नगर बस सेवायें सहित)

4.2 इस करार के अधीन जारी अस्थायी परमिट/अनुज्ञप्ति से सम्बंधित सूचना, रजिस्ट्रीकृत यान स्वामी (स्वामियों), यान का पंजीकृत लदान भार/मार्ग, जिसके लिये परमिट/अनुज्ञप्ति दी गई हो और परमिट/अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि के विवरणों का उल्लेख करते हुए परमिट/अनुज्ञप्ति जारी करने वाले परिवहन प्राधिकारी द्वारा करारकर्ता राज्य को यथाशक्य शीघ्र प्रदान की जायेगी। यह सूचना यथास्थिति परिवहन आयुक्त/सचिव, राज्य परिवहन विभाग के नाम से दी जायेगी।

4.3 इसके अतिरिक्त, अस्थायी परमिट/अनुज्ञप्ति सहित सभी परमिट (ठेका गाड़ी और मंजिली गाड़ी, जैसा लागू हो) केवल, समय-समय पर अपडेटेड वाहन साफ्टवेयर पर जारी किये जायेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे सभी परमिट/अनुज्ञप्ति का विवरण दूसरे राज्य द्वारा प्रत्येक राज्य के परिवहन आयुक्त/सचिवों के मध्य स्वचालित रूप से साझा किया जायेगा।

5. सामान्य

5.1 करारकर्ता राज्य, इस करार के अनुसार अन्तर्राज्यिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों के संबंध में कर, टोकन, चालन और परिचालक अनुज्ञप्ति, परिवहन यान प्राधिकार पत्र और प्रत्येक राज्य के प्रासंगिक नियमों के अन्तर्गत निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र को मान्यता प्रदान करेंगे।

5.2 यह करार हस्ताक्षर करने की तिथि से अगले दस वर्षों के लिए या करारकर्ता राज्यों के मध्य नया करार हस्ताक्षरित होने तक, जो भी पहले हो, के लिए वैध होगा। करारकर्ता राज्यों द्वारा आपसी सहमति से करार को करार की समाप्ति की तिथि से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि आवश्यकता हो, करार को पांच वर्ष बाद पुनरीक्षित किया जा सकता है।

5.3 परिवहन सचिवों की समिति की वार्षिक बैठक अनिवार्य है और परिवहन सचिवों की समिति के अध्यक्ष द्वारा क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु इसे बुलाया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रके संघटक राज्यों के अनुरोध पर भी बैठक बुलायी जा सकती है। वार्षिक बैठकों में परिधीय मुद्दों को सुलझाया जा सकता है और करार के ढांचे में परिवर्तन के लिए वार्षिक आधार पर पुनः अधिसूचना की जा सकती है।

5.4 केवल प्रचलित अथवा पंजीकरण के समय उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले वाहन, जो भी बाद में हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रक्षेत्र में चल सकेंगे।

5.5 मंजिली गाड़ी वाहनों के साथ-साथ टेका गाड़ी वाहनों की आयु सीमा डीजल वाहनों के लिए दस वर्ष और पेट्रोल/सीएनजी वाहनों के लिए पन्द्रह वर्ष तक सीमित होगी जब तक कि इस सम्बन्ध में कोई ओर निर्देश जारी नहीं किया जाता है। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय एनजीटी और भारत सरकार (एम ओ आर टी एच) के निर्देश, जैसा लागू हो, इन प्राविधानों पर अध्यारोही प्रभाव डालेगा।

5.6 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से होकर संचालित होने वाली राजस्थान, उत्तर प्रदेश व हरियाणा की अन्तर्राज्यिकसार्वजनिक परिवहन बस सेवा के संचालन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रके संघटक राज्यों के परामर्श से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20-11-97 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों के अनुशरण में, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाय, कुछ कारीडोर निर्धारित कर सकता है।

5.7 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रजिलों में चालकों के डेटाबेस, वाहन पंजीयन और अन्य आवश्यक सूचनाओं के कम्प्यूटीकरण की प्राथमिकता के आधार पर राज्य पहल करेंगे। रेडियो आवृत्ति पहचान (आर.एफ.आई.डी) के उपयोग, गति नियंत्रण यंत्र, फास्ट टेग, ट्रामा केयर, सिंगल विन्डो टैक्स कलेक्शन, चालक के फिंगर प्रिन्ट की बार कोडिंग और जीपीएस वाहन ट्रैकिंग सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का भी राज्य प्रयास करेंगे। परिवहन सचिवों की समिति की प्रत्येक बैठक में प्रास्थिति पर चर्चा की जायेगी।

5.8 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रके संघटक राज्यों द्वारा इस करार के अन्तर्गत पंजीकृत सभी प्रकार की वाहनों के पंजीयन के सम्बन्ध में पारस्परिक सामूहिक परिवहन करारनामा (टेका गाड़ी/मंजिली गाड़ी) के लागू होने की प्रास्थिति प्रत्येक छह माह में अनुलग्नक-IV में निर्धारित प्रारूप के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी। इसी प्रकार सभी श्रेणी की सीएनजी/विद्युत वाहनों की प्रास्थिति अनुलग्नक-V के अनुसार प्रस्तुत की जायेगी।

5.9 चालक सहित सभी परमिट/अनुज्ञप्ति धारक, चाहे स्थायी हों या अस्थायी, पुलिस सत्यापन के अधीन होंगे।

5.10 सभी लोक सेवा वाहन (जिन्हें मोर्थ की अधिसूचना, 2016 द्वारा विशेष रूप से छूट दी गयी है, को छोड़कर) में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1095(ई), दिनांक 28-11-2018, मोर्थ के आदेश संख्या 11028/12/2015-एमवीएल, दिनांक 31-10-2018 द्वारा यथा अद्यतन अथवा समय-समय पर लागू वाहन स्थान ट्रेकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और एक या एक से अधिक आपात कालीन बटन लगाना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संघटक राज्य 31-12-2018 तक पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में त्वरित निर्णय और कार्यवाही करेंगे।

5.11 पारस्परिक करार की शर्तों के अन्तर्गत जारी परमिट/अनुज्ञप्ति, सम्बन्धित राज्य के संभागीय परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होने पर प्रतिहस्ताक्षर फीस और इस करार के अनुसार उस राज्य के तत्समय अन्य देय करों के भुगतान पर सामान्यतः तत्काल प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे।

5.12 मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 59) और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन में करारकर्ता राज्य के राज्य परिवहन उपक्रम के विरुद्ध कोई निर्णय लेने से पूर्व सम्बन्धित राज्य परिवहन उपक्रम के प्रमुख को मामलों में निर्णय लेने के लिए सन्दर्भ किया जायेगा कि न्यायालय की शरण लेने की बजाय क्या विभागीय कार्यवाही पर्याप्त नहीं होगी।

5.13 इसके अतिरिक्त सभी संघटक राज्यों द्वारा निम्नलिखित के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रके संघटक राज्य के उपयुक्त/लागू निर्देशों के अनुसार आरसीटीए (टेका/मंजिली गाड़ी) के अन्तर्गत पंजीकृत सभी वाहनों के लिए वाहन-स्थान ट्रेकिंग उपकरणों का फीड/सिगनल उपलब्ध कराया जाना होगा।

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रमें पंजीकृत और सीमा पार चलने वाले आटो रिक्शा, मोटर कैब/टैक्सी और टेका गाड़ी बसों की आसान पहचान के लिए एक कलर कोड एवं लोगो दिया जाना होगा।

(iii) अस्थायी/गैर अस्थायी/संस्थागत परमिट/अनुज्ञप्ति से युक्त ये सभी वाहनों समय-समय पर जारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं क्रेन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1989 के नियम 118 के प्राविधानों के अनुसार गति नियंत्रक उपकरणों के अधीन होंगी।

(iv) मंजिली/टैका गाड़ी और/या कॉरीडोर ट्रांजिट का परमिट/अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाला कोई ट्रैफिक, उनकी शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्यवाही के अधीन होगा।

(v) इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रके अधिकांश क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस)/सीएनजी स्टेशन उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए सभी घटक राज्य और अन्य हितधारक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और इलेक्ट्रिक वाहनों /चार्जिंग स्टेशनों आदि को प्रोत्साहित करने के लिए उठाये गये कदमों के अनुसार ईवीसीएस/ सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का प्रयास करेंगे। यद्यपि दिल्ली के साथ सीमा साझा करने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रजिलों से दिल्ली के लिए आने वाले सभी वाहनों करार पर हस्ताक्षर होने के तीन वर्ष के अन्दर, उपलब्धता के अधीन, केवल सीएनजी/इलेक्ट्रिक या ऐसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग करेंगे। अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रजिले इस करार पर हस्ताक्षर करने के सात वर्षों में इसे हासिल करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड अपनी 2017 की प्रतिबद्धता के अनुसार भारत सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से सीएनजी स्टेशनों की सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

(छः) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रके संघटक राज्य, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एवं समय-समय पर संशोधित मोटर वाहन एग्रीगेटर्स गाइडलाइन्स, 2020 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रमें मोटर यान एग्रीगेटर्स के लिए नियम बनाने और सामंजस्य स्थापित करने के त्वरित कदम उठायेंगे।

जिसके साक्ष्य में इससे सम्बद्ध निम्नलिखित पक्षकारों ने इस करार पर ऊपर प्रथम लिखित दिनांक और वर्ष को हस्ताक्षर किया है:—

उत्तर प्रदेश सरकार और उनकी ओर से (राजेश कुमार सिंह), प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	एनसीटी दिल्ली सरकार और उनकी ओर से (आशीष कुन्द्रा) प्रधान सचिव सह परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार दिल्ली
हरियाणा सरकार और उनकी ओर से (शत्रुजीत कपूर) प्रधान सचिव,	राजस्थान सरकार और उनकी ओर से (अभय कुमार) प्रधान सचिव

परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार,	परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
साक्षी (अर्चना अग्रवाल) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड, नगरीय विकास मंत्रालय, भारत सरकार।	साक्षी (रवि प्रकाश) निदेशक (संघ राज्य क्षेत्र) नगरीय विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक क्षेत्र

केन्द्र सरकार द्वारा सम्बन्धित संघटक राज्यों की सरकारों की सहमति और बोर्ड की सहमति से सरकारी राजपत्र में अधिसूचित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक क्षेत्र निम्नलिखित हैं:—

(क) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली (1,483 वर्ग किलोमीटर)। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 2.7% है।

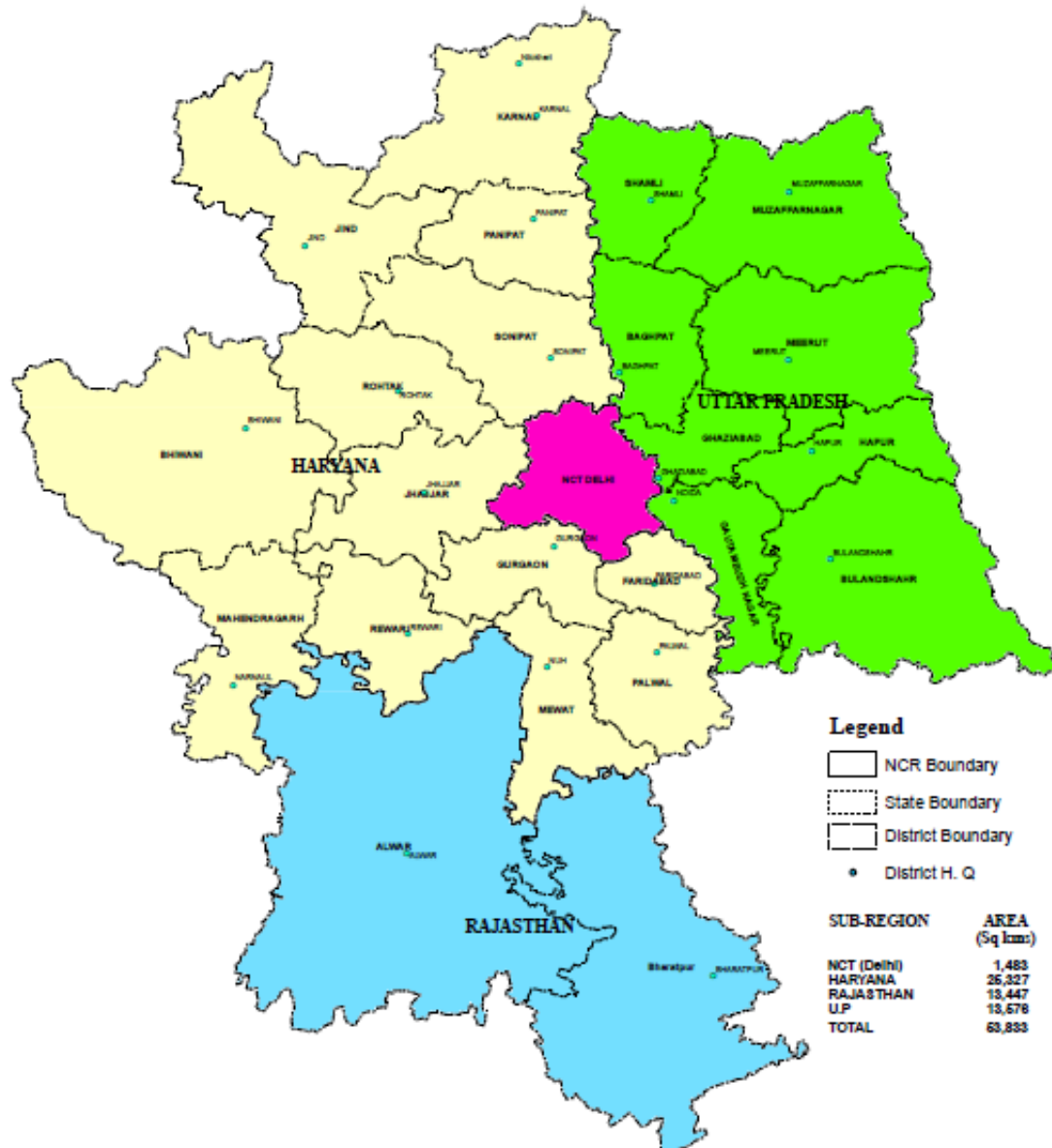
(ख) हरियाणा उप क्षेत्र जिसमें फरीदाबाद, गुड़गाँव, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, मेवात, पानीपत, भिवानी, महेन्द्रगढ़, जिन्द और करनाल जिले (25,327 वर्ग किलोमीटर) हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 46% है।

(ग) राजस्थान उप क्षेत्र जिसमें अलवर और भरतपुर जिले (13,447 वर्ग किलोमीटर) है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 24.3% है।

(घ) उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र, जिसमें सात जिले अर्थात् मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, बागपत, मुजफ्फर नगर और शामली जिले (13,578 वर्ग किलोमीटर) सम्मिलित हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 27% है।

इस प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 55084 वर्ग किलोमीटर है, जैसा कि अनुलग्नक—दो में मानचित्र में इंगित किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का घटक क्षेत्र



अनुलग्नक-III

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ठेका गाड़ी के रूप में अन्तर्राज्यिक आवागमन हेतु आटो रिक्षा की संख्या

राज्य	से	तक	आटो रिक्षा की संख्या
दिल्ली-उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	5000
	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	5000
दिल्ली-हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	5000
	हरियाणा	दिल्ली	5000
उत्तर प्रदेश-हरियाणा	उत्तर प्रदेश	हरियाणा	1000
	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	1000
राजस्थान-हरियाणा	राजस्थान	हरियाणा	500
	हरियाणा	राजस्थान	500

अनुलग्नक- IV

पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के लागू होने की प्रास्थिति हेतु प्रारूप

आर सी टी ए (ठेका गाड़ी) के अन्तर्गत राज्य में पंजीकृत वाहनों के प्रति जारी परमिट/अनुज्ञप्ति या स्वीकृत अनुमति

तक.....

पिछले छह: माह.....

राज्य का नाम	टैक्सी	बस	आटो	अभ्युक्ति
उत्तर प्रदेश				
दिल्ली				
राजस्थान				
हरियाणा				
पिछले छह: माह में कुल				
क्रमिक योग				

अनुलग्नक-V

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रमें पंजीकृत सभी प्रकार के सीएनजी/इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रास्थिति हेतु प्रारूप

तक.....

पिछले छह: माह.....

राज्य का नाम	टैक्सी	बस	आटो	अन्य कोई	अभ्युक्ति
उत्तर प्रदेश					
दिल्ली					
राजस्थान					
हरियाणा					
पिछले छह: माह में कुल					
क्रमिक योग					

अनुलग्नक—क

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रमें स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमितों की संख्या।

दिल्ली तथा राजस्थान

राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम संख्या	मार्ग	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमितों की संख्या	
		राजस्थान	दिल्ली	राजस्थान	दिल्ली	राजस्थान द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा राजस्थान में	राजस्थान	दिल्ली
1	अलवर—दिल्ली वाया नौगांव सोहना	38	25	26	28	650	1064	13	16
2	अलवर—दिल्ली वाया तिजारा	95	25	18	16	450	1520	9	8
3	तिजारा—दिल्ली वाया धारुहेड़ा	37	25	38	0	950	0	19	0
4	अलवर—दिल्ली वाया तिजारा सोहना—भिवाड़ी	94	25	12	0	300	0	6	0
5	अलवर—दिल्ली—मेरठ	38	48	4	0	192	0	4	0
		302	148	98	44	2542	2584	51	24

टिप्पणी: बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रमें स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमितों की संख्या।

दिल्ली एवं राजस्थान

निजी मंजिली गाड़ी बसें

क्रम संख्या	मार्ग	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमितों की संख्या	
		राजस्थान	दिल्ली	राजस्थान	दिल्ली	राजस्थान द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा राजस्थान में	राजस्थान	दिल्ली
1	दिल्ली-अलवर वाया हरियाणा	38	25	-	04	-	104	-	02

टिप्पणी: बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

अनुलग्नक —ख (ख-1)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रमें स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमितों की संख्या

दिल्ली एवं हरियाणा

निजी मंजिली गाड़ी बसें

क्रम संख्या	मार्ग	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमितों की संख्या	
		हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
1	दिल्ली पानीपत वाया सोनीपत	72	28	-	52	3744	-	-	8
2	दिल्ली-सोनीपत	22	28	-	4	88	-	-	1
3	दिल्ली-खरखौदा वाया सांपला	36	37	-	6	144	-	-	2
4	दिल्ली-गुड़गांव	10	25	60	54	540	1500	10	8
5	महरौली- गुड़गांव	10	12	-	12	120	-	-	1
6	दिल्ली-रेवाड़ी वाया सोहना	85	25	-	22	1870	-	-	9
7	दिल्ली-पुमाना	100	25	-	4	400	-	-	1
8	दिल्ली-होडल	71	13	-	4	284	-	-	2
9	दिल्ली-पलवल	44	13	-	48	2112	-	-	12
10	दिल्ली- रोहतक	53	37	-	6	318	-	-	3
11	दिल्ली-बहादुरगढ़	3	37	-	33	99	-	-	6
12	महरौली-बहादुरगढ़	3	40	-	4	12	-	-	1
13	नरेला-बहादुरगढ़	3	23	-	18	54	-	-	2
14	दिल्ली-बादली	3	36	-	30	90	-	-	1
15	दिल्ली-अलवर	110	25	-	4	440	-	-	2
	योग	625	404	60	301	10315	1500	10	59

टिप्पणी:- दोनों राज्यों द्वारा इससे पहले प्रदान किये गये वैध परमित, जिन पर निजी आपरेटरों की बसें परिचालित की जा रही हैं, इस समझौते की तारीख को भावी परिचालन हेतु इस समझौते का भाग मानी जायेगी।

— क्रम संख्या 1, 6 तथा 9 पर उल्लिखित रूटों के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण, हरियाणा क्रमशः 2, 2 तथा 3 परमिट प्रतिहस्ताक्षरित करेगी क्योंकि राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा निजी आपरेटरों को रिजर्व परमिट प्रदान किए गए हैं।

— उक्त रूटों पर बसों का परिचालन मैसर्स एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 20-11-97 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में दिनांक 31-12-97 को परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिल्ली के अन्तर्राज्यिकबस अड्डे से प्रारम्भ एवं समाप्त होगा।

— बसें निर्धारित बस टर्मिनल से शुरू एवं समाप्त होंगी।

अनुलग्नक (ख-II)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रमें स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमितों की संख्या

दिल्ली एवं हरियाणा

राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम संख्या	मार्ग	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमितों की संख्या	
		हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
1	दिल्ली-अलवर वाया सोहना	111	-	-	30	3330	-	-	15
2	दिल्ली-अलवर वाया तिजारा	90	-	-	20	1800	-	-	10
3	केन्द्रीय (टर्मि.)-बादली	2	-	-	16	32	-	-	2
4	आनन्द बिहार-बहादुरगढ़	3	-	-	60	180	-	-	15
5	कर्मपुरा-बहादुरगढ़	3	-	-	226	678	-	-	28
6	नई दिल्ली रेलवे स्टे.- बहादुरगढ़	3	-	-	168	504	-	-	21
7	नरेला-बहादुरगढ़	3	-	-	120	360	-	-	15
8	अम्बेडकर स्टेडियम - बहादुरगढ़ वाया आईएसबीटी	3	-	-	80	240	-	-	20

क्रम संख्या	मार्ग	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
		हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
9	नई दिल्ली रेलवे स्टे.— बल्लभगढ़	17	-	-	40	680	-	-	10
10	रिंग रोड—बल्लभगढ़	17	-	-	40	680	-	-	10
11	सफदरजंग (टर्मि.)— बल्लभगढ़	17	-	-	80	1360	-	-	10
12	दिल्ली—बड़ौत वाया	43	-	-	20	860	-	-	5
13	दिल्ली—दादरी	80	-	-	10	800	-	-	5
14	आनन्द बिहार—फरीदाबाद	17	-	-	60	1020	-	-	15
15	गाजियाबाद—फरीदाबाद	17	-	-	80	1360	-	-	20
16	रिंग रोड—फरीदाबाद	17	-	-	200	3400	-	-	50
17	सफदरजंग (टर्मि.)— फरीदाबाद	17	-	-	180	3060	-	-	23
18	शाहदरा—फरीदाबाद	17	-	-	60	1020	-	-	15
19	दिल्ली—फिरोजपुर झिरका	94	-	-	20	1860	-	-	10
20	अम्बेडकर (स्टेडियम)— गुड़गांव	10	-	-	80	800	-	-	10
21	दिल्ली/आनन्द बिहार— गुड़गांव	10	-	-	60	600	-	-	15
22	बदरपुर एक्स,— गुड़गांव	10	-	-	264	2640	-	-	33
23	कश्मीरीगेट— गुड़गांव	10	-	-	80	800	-	-	20
24	नरेला— गुड़गांव	10	-	-	40	400	-	-	5
25	उत्तम नगर— गुड़गांव	10	-	-	40	400	-	-	10
26	आर0के0पुरम— गुड़गांव	10	-	-	200	2000	-	-	15
27	शाहबाद डेरी— गुड़गांव	10	-	-	80	800	-	-	20
28	दिल्ली—गुड़गांव वाया फरीदाबाद	44	-	-	80	3520	-	-	20
29	बहादुरगढ़— गुड़गांव	13	-	-	194	2522	-	-	48
30	दिल्ली—गुड़गांव वाया	10	-	-	50	500	-	-	13

क्रम संख्या	मार्ग	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
		हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	बहादुरगढ़ बजघेरा								
31	आनन्द बिहार- गुड़गांव	10	-	-	80	800	-	-	20
32	करोलबाग- गुड़गांव	10	-	-	356	3560	-	-	49
33	नोएडा- गुड़गांव	10	-	-	82	820	-	-	20
34	नांगलोई- गुड़गांव	10	-	-	60	600	-	-	8
35	सफदरजंग (टर्मि.)- गुड़गांव	10	-	-	176	1760	-	-	22
36	सीमापुरी- गुड़गांव	10	-	-	52	520	-	-	13
37	सीमापुरी- गुड़गांव वाया बदरपुर	10	-	-	56	560	-	-	14
38	दिल्ली-होडल	70	-	-	20	1400	-	-	10
39	दिल्ली-झज्जर	34	-	-	10	340	-	-	5
40	दिल्ली-खरखौदा वाया बवाना	10	-	-	24	240	-	-	6
41	आनन्द बिहार-कुण्डली	2	-	-	40	80	-	-	10
42	दिल्ली-नगीना वाया सोहना	80	-	-	8	640	-	-	4
43	एयरपोर्ट-दिल्ली-एन आईआईटी फरीदाबाद	27	-	-	20	540	-	-	5
44	दिल्ली-पानीपत वाया सोनीपत	75	-	-	40	3000	-	-	10
45	सीजीओ काम्पलैक्स- पालम विहार	9	-	-	16	144	-	-	2
46	दिल्ली-पलवल	41	-	-	72	2952	-	-	18
47	दिल्ली-पलवल वाया सोहना	73	-	-	20	1460	-	-	5
48	दिल्ली-पानीपत-गुहाना-रोहतक-दिल्ली	173	-	-	10	1730	-	-	10

क्रम संख्या	मार्ग	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमितों की संख्या	
		हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
49	दिल्ली-पटौदी	35	-	-	10	350	-	-	5
50	दिल्ली-पुनाहना	70	-	-	10	700	-	-	5
51	करोलबाग-राजीव चौक	13	-	-	64	832	-	-	8
52	दिल्ली-रेवाड़ी	69	-	-	30	2070	-	-	15
53	दिल्ली-रोहतक-गुहाना-पानीपत-दिल्ली	173	-	-	10	1730	-	-	10
54	दिल्ली-रोहतक	48	-	-	40	1920	-	-	10
55	दिल्ली-रोहतक-गुहाना-सोनीपत-दिल्ली	140	-	-	10	1400	-	-	10
56	दिल्ली-रोहतक-खरखौदा-सोनीपत-दिल्ली	125	-	-	10	1250	-	-	10
57	करोलबाग-सोहना	35	-	-	50	1750	-	-	13
58	दिल्ली-सोहना वाया पलवल	73	-	-	30	2190	-	-	8
59	दिल्ली-सोनीपत	23	-	-	50	1150	-	-	13
60	दिल्ली-सोनीपत-गुहाना-रोहतक-दिल्ली	140	-	-	10	1400	-	-	5
61	दिल्ली-सोनीपत-खरखौदा-रोहतक-दिल्ली	125	-	-	10	1250	-	-	10
	योग -				4154	77364			861

टिप्पणी:- उक्त परिचालन हरियाणा के अनुमत्त आईएसबीटी के अलावा अतिरिक्त पाइंटस को छोड़कर दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डे से शुरू एवं समाप्त होगा। यह परिचालन मैसर्स एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 20-11-97 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 31-12-97 को परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगा।

- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

अनुलग्नक (ख-III)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रमें स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमितों की संख्या

हरियाणा तथा दिल्ली

राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमितों की संख्या	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
1	गुडगांव-बल्लभगढ़ वाया महरौली, बदरपुर	आया नगरा, खानपुर, बदरपुर	-	23	140	-	-	3220	28	-
2	एनआईटी-कश्मीरी गेट वाया बदरपुर, आश्रम, सराय काले खां	बदरपुर, कालका मोड़, आश्रम	-	25	60	-	-	1500	6	-
3	एनआईटी-ग्रेटर नोएडा वाया बदरपुर, सरिता विहार, कालिन्दी कुंज	बदरपुर, सरिता विहार, कालिन्दी कुंज	-	15	20	-	-	300	2	-
4	एनआईटी-बहादुर गढ़ वाया बदरपुर, महरौली, ईफको चौक	बदरपुर, खानपुर, आया नगर	-	50	52	-	-	2600	13	-
5	एनआईटी-सराय काले खां वाया बदरपुर, आश्रम	बदरपुर कालका मोड़, आश्रम	-	13	56	-	-	728	7	-
6	बल्लभगढ़-सफदर जंग (ट) वाया	बदरपुर कालका मोड़,	-	17	42	-	-	714	7	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	बदरपुर, आश्रम	आश्रम								
7	बल्लभगढ़—सराय काले खां वाया बदरपुर आश्रम	बदरपुर कालका मोड़, आश्रम	-	13	42	-	-	546	7	-
8	एनआईटी—एयर पोर्ट वाया बदरपुर, खानपुर, महरौली ईफको चौक	बदरपुर, खानपुर, आया नगर	--	31	12	-	-	372	2	-
9	बल्लभगढ़—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वाया बदरपुर आश्रम, दिल्ली गेट	बदरपुर कालका मोड़, आश्रम	-	25	40	-	-	1000	5	-
10	बल्लभगढ़—नार्थ कैम्पस बदरपुर—सरायकाले खां कश्मीरीगेट	बदरपुर कालका मोड़, आश्रम	-	31	20	-	-	620	5	-
11	एनआईटी—आनन्द विहार वाया बदरपुर, सरिता विहार, कालिन्दी कुंज, नोएडा	बदरपुर, सरिता विहार, गाजीपुर मोड़	-	25	50	-	-	1250	5	-
12	एनआईटी—केन्द्रीय सचिवालय, वाया बदरपुर, आश्रम, मेडिकल, सफदरजंग एयरपोर्ट	बदरपुर, आश्रम मैडिकल	-	25	40	-	-	1000	5	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
13	बल्लभगढ़—सफदरजंग (ट) वाया नेहरू प्लेस, आर0के0पुरम	बदरपुर, नेहरू प्लेस, आर0के0पुरम	-	25	60	-	-	1500	10	-
14	फरीदाबाद—नजफगढ़ वाया बदरपुर, महरौली, कापसहेड़ा	बदरपुर, महरौली, बिजवासन	-	48	60	-	-	2880	15	-
15	एनआईटी—नोएडा वाया बदरपुर, सरिता विहार, कालिन्दी कुंज	बदरपुर, सरिता विहार, कालिन्दी कुंज	-	15	30	-	-	450	3	-
16	एनआईटी—नेहरू प्लेस, वाया बदरपुर, कालका मोड़	बदरपुर, मदानपुर खादर, कालका मोड़	-	10	40	-	-	400	5	-
17	एनआईटी—दिल्ली गेट वाया बदरपुर, आश्रम, आश्रम, रिंग रोड	बदरपुर कालका मोड़, आश्रम	-	20	40	-	-	800	4	-
18	एनआईटी—हौज खास वाया बदरपुर, खानपुर, आउटर रिंग रोड	बदरपुर, खानपुर, लाडो सराय	-	18	40	-	-	720	5	-
19	गुडगांव—आईएसबी टी कश्मीरीगेट, वाया धौला कुआं, रिंज रोड, फिल्मिस्तान	महिलपालपुर धौला कुआं, रिंज रोड	-	31	80	-	-	2480	8	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
20	ढांसा बार्डर-आई एस बीटी कश्मीरी गेट वाया नजफगढ़, नांगलोई, पीपरागढ़ी, मधुबन चौक	नजफगढ़, नांगलोई, पीपरागढ़ी	-	36	30	-	-	1080	5	-
21	प्याऊ मनियारी कुंडली-आईएस बीटी कश्मीरीगेट वाया जीटीके बाईपास आउटर रिंग रोड	सिंघ बार्डर, अलीपुर, जीटीके बाईपास	-	28	20	-	-	560	2	-
22	प्याऊ मनियारी कुंडली-एयरपोर्ट-वाया नरेला, बहादुरगढ़ नजफगढ़	सिंघ बार्डर, नरेला, नजफगढ़	-	42	12	-	-	504	2	-
23	प्याऊ मनियारी कुंडली-आनन्द विहार वाया वजीराबाद, भजनपुरा	सिंघ बार्डर, जीटीके बाईपास, वजीराबाद	-	45	40	-	-	1800	5	-
24	बहादुरगढ़-सफदर जंग (ट) वाया पीपरागढ़ी, पंजाबी बाग, रिंग रोड	नांगलोई, पीपरागढ़ी, धौलाकुआ	-	42	40	-	-	1680	5	-
25	बहादुरगढ़-एयर पोर्ट वाया	नजफगढ़, बिजवासन,	-	26	12	-	-	312	2	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	नजफगढ़, बिजवासन, समलखां क्रासिंग	समलखां क्रासिंग								
26	बहदुरगढ़—आईएस बीटी कश्मीरीगेट वाया नांगलोई, पीरागढ़ी, मधुबन चौक, जीटीके बाईपास	नांगलोई, पीरागढ़ी, जीटीके बाईपास	-	37	60	-	-	2220	6	-
27	बहदुरगढ़—गुड़गांव वाया नजफगढ़, बिजवासन	नजफगढ़, बिजवासन, समलखां क्रासिंग	-	26	156	-	-	4056	20	-
28	बहदुरगढ़—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाया पीरागढ़ी, पंजाबी बाग, सराय रोहिल्ला पहाड़गंज	पीरागढ़ी, पंजाबीबाग, करोलबाग	-	30	50	-	-	1500	5	-
29	बहदुरगढ़—आनन्द विहार वाया पीरागढ़ी, मधुबन चौक, वजीराबाद ब्रिज, भजनपुरा	पीरागढ़ी, जीटीके बाईपास, वजीराबाद ब्रिज	-	57	20	-	-	1140	5	-
30	बहदुरगढ़—नोएडा वाया पीरागढ़ी, मधुबन चौक, आउटर रिंग रोड, आईएसबीटी	पीरागढ़ी, जीटीके बाईपास, कश्मीरीगेट	-	52	20	-	-	1040	5	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	कश्मीरी गेट, राजघाट, निजामुद्दीन ब्रिज									
31	गुडगांव-करोल बाग वाया धौला कुआं	महिपालपुर, पालम मोड़, धौलाकुआं	-	23	20	-	-	460	2	-
32	गुडगांव-केन्द्रीय सचिवालय वाया धौलाकुआं, 11 मूर्ति, राम मनोहर लोहिया अस्पताल	धौलाकुआं, 11 मूर्ति, राम मनोहर लोहिया अस्पताल	-	25	24	-	-	600	4	-
33	गुडगांव-ग्रेटर नोएडा वाया धौला कुआं, मेडिकल, आश्रम, सरिता विहार कालिन्दी कुंज	मेडिकल आश्रम, सरिता विहार	-	30	10	-	-	300	2	-
34	गुडगांव-आईएस बीटी, कश्मीरी गेट वाया एयरपोर्ट, धौला कुआं, रिज रोड, फिल्मिस्तान	समलखा क्रासिंग, एयरपोर्ट, धौलाकुआं	-	36	20	-	-	720	2	-
35	गुडगांव-बहादुर गढ़ वाया बजधेरा	छावला, नजफगढ़, झरौदा गांव	-	20	100	-	-	2000	10	-
36	गुडगांव-नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाया धौला कुआं,	धौला कुआं, रिज रोड, पहाड़गंज	-	31	54	-	-	1674	9	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	रिज रोड, पहाड़गंज									
37	गुड़गांव-सराय कालेखां, वाया धौलाकुआं आश्रम	महिपालपुर, धौला कुंआ, मेडिकल	-	25	46	-	-	1150	5	-
38	गुड़गांव-जेएलएन स्टेडि0 वाया महरौली, सफदर जंग, सीजीओ काम्पलेक्स	महरौली, सफदरजंग सीजीओ काम्पलेक्स	-	25	36	-	-	900	3	-
39	गुड़गांव-कें0 सचिवालय वाया धौला कुआं, तीन मूर्ति, कृषि भवन	धौला कुआं, तीन मूर्ति कृषि भवन	-	25	14	-	-	350	2	-
40	गुड़गांव-मंगलापुरी वाया डुंडाहेड़ा, बिजवासन, नजफगढ़	समलखां क्रासिंग, बिजवासन, नजफगढ़	-	20	50	-	-	1000	5	-
41	राजीव चौक गुड़गांव-नेहरू प्लेस वाया महरौली, खानपुर	महरौली, खानपुर, कालका जी	-	31	50	-	-	1550	5	-
42	गुड़गांव-स0ज0 (टर्मि0) वाया महरौली, खानपुर	महरौली, खानपुर, चिराग दिल्ली	-	20	42	-	-	840	5	-
43	गुड़गांव-कें0 सचिवालय वाया महरौली, खानपुर, मेडिकल, स0ज0	महरौली, खानपुर, मेडिकल	-	31	50	-	-	1550	5	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिज्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	एयरपोर्ट									
44	गुडगांव-आनन्द विहार वाया धौला कुआं, मेडिकल, सराय काले खां, निजामुद्दीन ब्रिज	धौलाकुआं, मेडिकल, सराय काले खां, निजामुद्दीन ब्रिज	-	39	10	-	-	390	2	-
45	गुडगांव-स0ज0 (ट0) वाया धौला कुआं, मेडिकल	महिलापुर, धौला कुआं, मेडिकल	-	20	10	-	-	200	1	-
46	गुडगांव-नोएडा वाया कुतुब, खानपुर, बदरपुर, सरिता विहार, कालिन्दी कुंज	कुतुब, खानपुर, बदरपुर	-	30	40	-	-	1200	4	-
47	पानीपत-दिल्ली	-	-	28	80	-	-	2240	20	-
48	पानीपत-अलवर वाया दिल्ली	-	-	65	2	-	-	130	1	-
49	होडल-सराय कालेखां	-	-	13	18	-	-	234	6	-
50	पलवल-सराय कालेखां	-	-	13	66	-	-	858	17	-
51	पलवल-सोनीपत	-	-	53	10	-	-	530	5	-
52	सोनीपत-दिल्ली	-	-	28	194	-	-	5432	57	-
53	अलवर-सराय कालेखां	-	-	25	30	-	-	750	15	-
54	सोहना-सराय कालेखां	-	-	25	44	-	-	1100	11	-
55	खरखौदा-दिल्ली	-	-	36	110	-	-	3960	27	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	वाया बवाना									
56	जखौली-दिल्ली	-	-	28	28	-	-	784	4	-
57	रेवाड़ी-सराय कालेखां	-	-	25	70	-	-	1750	20	-
58	बावला-सराय कालेखां	-	-	25	6	-	-	150	2	-
59	गुरावर-सराय कालेखां	-	-	25	2	-	-	50	1	-
60	रेवाड़ी-सराय कालेखां वाया सोहना	-	-	25	28	-	-	700	7	-
61	रोहतक-दिल्ली	-	-	37	54	-	-	1998	15	-
62	रोहतक-गुड़गांव वाया बहादुरगढ़	-	-	26	80	-	-	2080	20	-
63	पालंगी-दिल्ली	-	-	37	2	-	-	74	1	-
64	रोहतक-दिल्ली वाया सोनीपत	-	-	28	12	-	-	336	6	-
65	गिरावर-गुड़गांव वाया दिल्ली	-	-	74	4	-	-	296	2	-
66	फरमाना-दिल्ली	-	-	36	2	-	-	72	1	-
67	किलौली-दिल्ली	-	-	37	4	-	-	148	2	-
68	रोहतक-फरीदा बाद वाया कश्मीरी गेट	-	-	62	20	-	-	1240	10	-
69	गुहाना-दिल्ली वाया सोनीपत	-	-	28	92	-	-	2576	23	-
70	सोनीपत-गुड़गांव वाया बहादुरगढ़	-	-	26	4	-	-	104	1	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
71	गुहाना-दिल्ली वाया खरखौदा	-	-	36	30	-	-	1080	8	-
72	झज्जर-दिल्ली	-	-	37	50	-	-	1850	13	-
73	खेड़ी आश्रा-गुड़गांव वाया नजफगढ़	-	-	26	2	-	-	52	1	-
74	कोठकासिम-सराय कालेखां	-	-	25	4	-	-	100	2	-
75	अलवर-सराय कालेखां वाया तिजारा	-	-	25	8	-	-	200	4	-
76	मटेहल-दिल्ली	-	-	37	2	-	-	74	1	-
77	बेरी-दिल्ली	-	-	37	14	-	-	518	4	-
78	गुड़गांव-रोहतक वाया बदानी	-	-	26	2	-	-	52	1	-
79	फिरोजपुर झिरका-सराय कालेखां	-	-	25	14	-	-	350	7	-
80	पुनहना-सराय कालेखां	-	-	25	20	-	-	500	5	-
81	नूह-सराय कालेखां	-	-	25	14	-	-	350	7	-
82	तिजारा-सराय कालेखां	-	-	25	16	-	-	400	8	-
	योग-			2466	3098			86974	605	

टिप्पणी:-उक्त परिचालन हरियाणा के अनुमत्त आईएसबीटी के अलावा अतिरिक्त पाइंट्स को छोड़कर दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डे से शुरू एवं समाप्त होगा। यह परिचालन मैसर्स एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 20-11-97 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में

दिनांक 31-12-97 को परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगा।

— बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

प्रस्तावित 61 नये मार्ग

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फरे		परिचालन किलोमीटर		परमितों की संख्या	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
1	भिवाड़ी—दिल्ली—गुरुग्राम			62	02			124	01	
2	भिवाड़ी—दिल्ली—पलवल			62	04			248	02	
3	भिवाड़ी—दिल्ली—फरीदाबाद			62	04			248	02	
4	भिवाड़ी—दिल्ली वाया रोहतक			37	24			888	12	
5	शिवानी—दिल्ली वाया भिवाड़ी			37	02			74	01	
6	भिवाड़ी—दिल्ली वाया बहादुरगढ़			37	04			148	02	
7	भिवाड़ी—होडल वाया दिल्ली			62	02			124	01	
8	एनआईटी—नेहरू प्लेस वाया बहादुरपुर कालका मोड़			10	08			80	02	
9	पुन्हाना—दिल्ली वाया सोहना			25	02			50	01	
10	पलवल—दिल्ली वाया बल्लभगढ़			13	04			52	02	
11	बल्लभगढ़—सफदरजंग			18	08			144	04	
12	फरीदाबाद—सफदरजंग			18	08			144	04	

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
13	बल्लभगढ़—सरायेकाले खां			13	06			78	03	
14	फरीदाबाद—दिल्ली		--	13	04	--	--	52	2	
15	पानीपत वाया सोनीपत—दिल्ली			28	04			112	02	
16	फरीदाबाद—भिवाड़ी वाया गुरुग्राम			22	04			88	02	
17	फरीदाबाद—जिंद वाया दिल्ली			22	02			44	01	
18	गुरुग्राम—आनन्दविहार			41	08			164	04	
19	गुरुग्राम—सरायेकाले खां		--	31	08	--	--	124	04	
20	गुरुग्राम—बहादुरगढ़ वाया बजरघेड़ा			20	06			80	08	
21	पलवल—होडल—दिल्ली			20	10			200	05	
22	पलवल—दिल्ली वाया फरीदाबाद		--	20	10	--	--	200	05	
23	होडल—सरायेकाले खां			20	12			240	06	
24	पलवल—सरायेकाले खां			20	10			200	05	
25	पुन्हाना—सरायेकाले खां			20	04			80	02	
26	बहूझोलरी—दिल्ली वाया झांझर		--	37	06	--	--	222	03	
27	बेरी—दिल्ली वाया सम्पला			37	02			74	01	
28	झांझर—बदली—दिल्ली			56	14			784	07	
29	च0 दादरी—दिल्ली वाया		--	37	24	--	--	888	12	

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिप्पली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	झांझर									
30	करनाल-गुरुग्राम वाया दिल्ली		--	59	02	--	--	118	1	
31	नूब-सरायेकाले खां			31	06			186	03	
32	नरनौल-सरायेकाले खां		--	25	20	--	--	500	10	
33	रोहतक-दिल्ली			37	32			1184	08	
34	भिवाड़ी-दिल्ली वाया बहादुरगढ़			37	16			592	04	
35	जिंद-दिल्ली वाया रोहतक			37	04			148	02	
36	किलोई-दिल्ली वाया खरखोंदा			36	02			72	01	
37	पोलांगी-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
38	रोहतक-गुरुग्राम वाया बहादुरगढ़			18	16			288	04	
39	रोहतक-गुरुग्राम वाया दिल्ली			18	20			360	05	
40	भिवाड़ी-सरायेकाले खां			25	20			500	05	
41	रेवाड़ी-बैजनाथ वाया दिल्ली			59	02			118	02	
42	कोशली-सरायेकाले खां			25	06			150	03	
43	नरनौल-सरायेकाले खां			25	10			250	05	
44	रितहल-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
45	रुड़की-दिल्ली वाया			36	02			72	01	

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिप्पली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	खरखोदा									
46	गोरड़-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
47	कटवाल-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
48	मोहीहुदा-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
49	गुहना-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
50	मतिंदू-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
51	जसराणा-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
52	रिधऊ-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
53	गोरड़-बखेटा-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
54	गोरड़-सिलाना-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
55	थाना-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
56	बिधलन-सिलाना-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
57	सेहरी-वाया खरखोदा-दिल्ली			36	02			72	01	
58	सोनीपत-नरनौल वाया दिल्ली			59	04			236	02	
59	सोनीपत-फरीदाबाद वाया दिल्ली			53	02			106	01	

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
60	सोनीपत-होडल वाया दिल्ली			53	02			106	01	
61	सोनीपत-नरेला			02	20			40	02	
	योग-			1865	1250			12080	180	

टिप्पणी:-उक्त परिचालन हरियाणा के अनुमत्त आईएसबीटी के अलावा अतिरिक्त पाइंटस को छोड़कर दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डे से शुरू एवं समाप्त होगा। यह परिचालन मैसर्स एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 20-11-97 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 31-12-97 को परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगा।

— बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

अनुलग्नक—(ग—I)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रमें स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमितों की संख्या

उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश

दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश

निजी मंजिली गाड़ी बसें

क्रम संख्या	मार्ग	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमितों की संख्या	
		उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
1	गाजियाबाद—दिल्ली	15.0	19	44	88	836	1320	11	10
2	गढ़—दिल्ली	66.0	19	152	54	2888	3564	38	20
3	मुरादनगर—असालतपुर—दिल्ली	33.7	11	16	14	176	232	04	04
	कुल	114.7	49	212	156	3900	5136	53	34

टिप्पणी:— दोनों राज्यों द्वारा पूर्व में जारी वैध परमिट जिन पर निजी संचालकों की बसें वर्तमान में संचालित हैं, आगामी संचालन के लिए इस समझौते के अंग माने जायेंगे।

— बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमितों की संख्या

दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश

राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम संख्या	मार्ग	उत्तर प्रदेश में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमितों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली द्वारा	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
1	मेडिकल (दिल्ली)– विवेकानन्द (गाजियाबाद)	मोहन नगर, गाजियाबाद बस स्टैण्ड न्यू/पुराना	19	-	-	80	-	1520	-	20
2	शिवाजी स्टेडियम (दिल्ली)– एएल टीसी गाजियाबाद	मोहन नगर, गाजियाबाद बस स्टैण्ड न्यू/पुराना	17	-	-	160	-	2720	-	20
3	दिल्ली गुड़गांव वाया नोएडा	इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर-19, खोड़ा, कॉलोनी	25	-	-	86	-	2150	-	23
4	भजनपुरा (दिल्ली) –गाजियाबाद	पसौंड़ा, एयरपोर्ट कॉलोनी, मोहन नगर	14	-	-	320	-	4480	-	27
5	मोरी गेट (दिल्ली) –गाजियाबाद	पसौंड़ा, एयरपोर्ट कॉलोनी, मोहन नगर	14	-	-	80	-	1120	-	10

क्रम संख्या	मार्ग	उत्तर प्रदेश में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश में दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
6	दिल्ली-गाजियाबाद-फरीदाबाद	पसौंड़ा, एयरपोर्ट कॉलोनी, मोहन नगर	14	-	-	100	-	1400	-	25
7	शिवाजी स्टेडि० (दिल्ली)-इन्द्रापुरम	महाराजपुर बॉर्डर, डाबर, वैशाली	6	-	-	24	-	144	-	3
8	आर०के०पुरम (दिल्ली)-ग्रेटर नोएडा	अट्टा चौक, बाघेल, खुलेसरा गांव	37	-	-	40	-	1480	-	10
9	कतवरियासराय(दिल्ली)-इन्दिरापुरम	महाराजपुर बॉर्डर, डाबर, वैशाली	7	-	-	4	-	28	-	1
10	कश्मीरीगेट (दिल्ली)-ग्रेटर नोएडा	अट्टा चौक, बाघेल, खुलेसरा गांव	37	-	-	32	-	1184	-	8
11	नई दिल्ली/पुराना रेलवे स्टे० (दिल्ली)-ग्रेटर नोएडा	अट्टा चौक, बाघेल, खुलेसरा गांव	37	-	-	40	-	1480	-	10
12	शिवाजी स्टेडि० (दिल्ली)- परिवहन अपार्टमेन्ट	महाराजपुर बॉर्डर, डाबर कौशाम्बी	6	-	-	40	-	240	-	5
13	शिवाजी स्टेडि० (दिल्ली)-विजय नगर	खोड़ा, महाराजपुर, विजयनगर क्रासिंग	10	-	-	32	-	320	-	4
14	शाहदरा-फरीदाबाद वाया नोएडा	अट्टा चौक, सै०-37, इंटर नेशनल स्कूल	15	-	-	42	-	630	-	11

क्रम संख्या	मार्ग	उत्तर प्रदेश में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश में सवारी उतारने का स्थान	दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
15	ओखला इडि0 ईस्टेट-लोनी / रामेश्वर पार्क	लोनी बॉर्डर	2	-	-	16	-	32	-	2
16	दिल्ली-अनूपशहर	बुलन्दशहर, शिवाली, जगीराबाद	116	-	-	12	-	1392	-	6
17	दिल्ली-अहार	बुलन्दशहर, शिवाली, जगीराबाद	112	-	-	4	-	448	-	2
18	दिल्ली-बड़ौत	लोनी, खेखड़ा बागपत	44	-	-	10	-	440	-	3
19	दिल्ली-बड़ौत वाया सोनीपत	गौरीपुर, सरूरपुर	16	-	-	20	-	320	-	5
20	दिल्ली-बुलन्दशहर वाया सिकन्दराबाद	लालकुआं, दादरी, सिकन्दराबाद	69	-	-	60	-	4140	-	15
21	दिल्ली-गढ़, ब्रिज घाट	गाजियाबाद बस स्टैण्ड, हापुड़, बाबूगढ़	82	-	-	30	-	2460	-	15
22	दिल्ली-हापुड़	मोहननगर, गाजियाबाद बस स्टैण्ड, पिलखुआ	47	-	-	42	-	1974	-	12
23	दिल्ली-हस्तिनापुर	मोहन नगर, मोदी नगर, मेरठ	95	-	-	8	-	760	-	4
24	दिल्ली-खुर्जा	लालकुआं, सिकन्दराबाद बुलन्दशहर	88	-	-	30	-	2640	-	8

क्रम संख्या	मार्ग	उत्तर प्रदेश में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश में दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
25	दिल्ली-मेरठ	मोहननगर, मुरादनगर, मोदीनगद	56	-	-	150	-	8400	-	38
26	दिल्ली-एनटीपीसी (गाजियाबाद)	मोहन नगर, गाजि0 बस स्टैण्ड, मुस्सरी	39	-	-	6	-	234	-	2
27	दिल्ली-नगली साहिब	मोहननगर, मोदी नगर, मेरठ	90	-	-	4	-	360	-	2
28	दिल्ली-नरौरा	बुलन्दशहर, शिकारपुर, देबई	139	-	-	8	-	1112	-	4
29	दिल्ली-परीक्षितगढ़	मोहननगर, मोदी नगर, मेरठ	83	-	-	4	-	332	-	2
30	दिल्ली-रामघाट	बुलन्दशहर, शिकारपुर, देबई	136	-	-	6	-	816	-	3
31	दिल्ली-रटोल	लोनी, बघौत, चिरोरी	19	-	-	8	-	152	-	2
	योग-		1491			1498		44908		302

टिप्पणी:- उत्तर प्रदेश राज्य व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यातायात की मांग पर निर्भर रहते हुए जब कभी स्थिति उत्पन्न हो, स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं और करार के खण्ड 2(vii) के अनुसार पारस्परिक करार पर आवश्यक विनिश्चय कर सकते हैं।

- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

अनुलग्नक (ग-III)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रमें स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमितों की संख्या

उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली

राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमितों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
1	अमीन नगर सराय—दिल्ली	—	-	12	10	-	120	-	5	-
2	अहर—दिल्ली	—	-	3	6	-	18	-	3	-
3	अनूपशहर—दिल्ली	—	-	3	6	-	18	-	3	-
4	अनूपशहर—दिल्ली एयरपोर्ट वाया एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	-	40	18	-	720	-	9	-
5	बागपत—दिल्ली	—	-	12	26	-	312	-	8	-
6	बड़ौत—दिल्ली	—	-	12	26	-	312	-	8	-
7	बड़ौत—दिल्ली एयरपोर्ट वाया कश्मीरी गेट, सराय काले खां, नेहरूनगर, श्रीनिवासपुरी, डिपो, कालकाजी मंदिर, नेहरू प्लेस, चिराग दिल्ली, आईआईटी	नेहरू प्लेस, महिपालपुर क्रासिंग	-	40	8	-	320	-	4	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
	गेट, मुनिरका, बसंत विहार, महिपालपुर क्रासिंग, रंगपुरी									
8	बड़ौत-दिल्ली एयरपोर्ट वाया कश्मीरीगेट, सराय कालेखां, रिंग रोड, मेडिकल, महरौली, कुतुब, अंधेरिया मोड़, किसान गढ़, महिपालपुर, रंगपुरी	सराय कालेखां, महरौली	-	48	8	-	384	-	4	-
9	बड़ौत-दिल्ली केन्द्रीय सचिवालय वाया कश्मीरी गेट, राजघाट, दिल्ली गेट, विवेकानन्द मार्ग, रीगल	दिल्ली गेट, रीगल	-	26	8	-	208	-	4	-
10	बड़ौत-नई दिल्ली रेलवे स्टे० वाया कश्मीरीगेट, राजघाट, दिल्ली गेट	कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट	-	20	8	-	160	-	4	-
11	बड़ौत-नोएडा वाया दिल्ली; लोनी रोड क्रासिंग, नंद नगरी, आनन्द ग्राम, सीमापुरी, सूर्या नगर, आनन्द	एल आर क्रासिंग आनन्द विहार	-	22	8	-	176	-	4	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
	बिहार, आईएसबीटी एनएच-24, कल्याणपुरी, दल्लूपुरा									
12	बड़ौत-फरीदाबाद वाया दिल्ली; कश्मीरीगेट, सराय कालेखां, आश्रम, बदरपुर बार्डर	सराय कालेखां, बदरपुर	-	37	8	-	296	-	4	-
13	बड़ौत-गुड़गांव वाया दिल्ली; कश्मीरी गेट, बर्फखाना, फैज रोड, रिज रोड, धौला कुआं	रिज रोड, धौला कुआं	-	49	8	-	392	-	4	-
14	बड़ौत-दिल्ली वाया बहलगढ़ नरेला, सिंघ बॉर्डर, अलीपुर जीटीके बाईपास, आउटर रिंग रोड	सिंघ बॉर्डर, जीटीके बाईपास	-	37	12	-	444	-	6	-
15	बड़ौत-पलवल वाया दिल्ली; कश्मीरी गेट, सराय कालेखां, आश्रम, बदरपुर बॉर्डर	सराय कालेखां, बदरपुर	-	37	12	-	444	-	6	-
16	बड़ौतअलवर वाया दिल्ली; कश्मीरीगेट सराय कालेखां,	सराय कालेखां, धौलकुआं	-	49	6	-	294	-	3	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
	आश्रम, धौलकुआं									
17	बिनौली-अलवर वाया दिल्ली; कश्मीरीगेट, सराय कालेखां, आश्रम, धौलकुआं	सराय कालेखां, धौलकुआं	-	48	4	-	192	-	2	-
18	बुलनन्दशहर-गुडगांव वाया दिल्ली; एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौलकुआं	सराय कालेखां, धौलकुआं	-	45	4	-	180	-	2	-
19	बुलन्दशहर-दिल्ली	—	-	3	90	-	270	-	45	-
20	चांदी नगर-दिल्ली	—	-	12	10	-	120	-	5	-
21	छपरौली-दिल्ली	—	-	12	30	-	360	-	10	-
22	छपरौली-नईदिल्ली रेलवे स्टे० वाया कश्मीरी गेट, राजघाट, दिल्लीगेट	—	-	20	8	-	160	-	4	-
23	छपरौली-दिल्ली	—	-	12	10	-	120	-	5	-
24	फलौदा-दिल्ली	—	-	11	4	-	44	-	2	-
25	गढ़-दिल्ली	—	-	1	16	-	16	-	8	-
26	गाजियाबाद-शिवाजी स्टे० वाया महाराजपुर बॉर्डर, के०के० क्रॉसिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, मंडी	शकरपुर, यूआर आईटीओ	-	14	18	-	252	-	3	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
	हाउस									
27	गाजियाबाद एयर पोर्ट वाया आनन्द विहार, महाराजपुर बॉर्डर, एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौलाकुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	-	40	36	-	1440	-	18	-
28	हापुड़-दिल्ली	—	-	1	54	-	54	-	9	-
29	हापुड़- शिवाजी स्टे0 वाया महाराजपुर बॉर्डर, के0के0 क्रॉसिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, मंडी हाउस	शकरपुर, यूआर आईटीओ	-	14	18	-	252	-	9	-
30	हापुड़-फरीदाबाद वाया दिल्ली; महाराजपुर बॉर्डर, एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौलाकुआं	सराय कालेखां, बदरपुर	-	25	18	-	450	-	9	-
31	हस्तिनापुर-दिल्ली	—	-	11	8	-	88	-	4	-
32	जेवर-दिल्ली	—	-	3	3	-	9	-	1	-
33	कौराना-दिल्ली	—	-	1	12	-	12	-	6	-
34	कौराना-दिल्ली	—	-	12	8	-	96	-	4	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
35	कांधला-दिल्ली	—	-	12	20	-	240	-	10	-
36	कर्णवस-दिल्ली	—	-	3	2	-	6	-	1	-
37	खतौली-दिल्ली	—	-	11	10	-	110	-	5	-
38	खेकड़ा-दिल्ली	—	-	12	8	-	96	-	2	-
39	खुर्जा-बल्लभगढ़ वाया दिल्ली; एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां आश्रम	सराय कालेखां बदरपुर	-	28	4	-	112	-	2	-
40	खुर्जा-दिल्ली	—	-	3	54	-	162	-	27	-
41	कोताना-दिल्ली	—	-	12	20	-	240	-	10	-
42	कोताना-केन्द्रीय सचिवालय वाया सीजीओ, कश्मीरी गेट, राजघाट, दिल्ली गेट	दिल्ली गेट, रीगल	-	26	4	-	104	-	2	-
43	मेरठ-अलवर वाया दिल्ली; महाराजपुर बॉर्डर, एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	-	48	2	-	96	-	2	-
44	मेरठ-दिल्ली	—	-	11	158	-	1738	-	79	-
45	मेरठ-फरीदाबाद वाया दिल्ली; एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज,	सराय कालेखां, बदरपुर	-	36	4	-	144	-	2	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
	सराय कालेखां, धौला कुआं									
46	मेरठ—गुड़गांव वाया दिल्ली; एनएच—24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	-	48	4	-	192	-	2	-
47	मेरठ—दिल्ली वाया केन्द्रीय सचिवालय, महाराजपुर बार्डर, के०के० क्रॉसिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, मंडी हाउस, रीगल	शकरपुर आईटीओ	-	25	24	-	600	-	12	-
48	मेरठ—नई दिल्ली रेलवे स्टे० वाया महाराजपुर बार्डर, के०के० क्रॉसिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, मंडी हाउस	शकरपुर आईटीओ	-	19	24	-	456	-	12	-
49	मेरठ—नेहरू प्लेस वाया एनएच—24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, देव कालेज, एसएनपीडी कालका मंदिर	सराय कालेखां, कालकाजी मंदिर	-	29	24	-	696	-	12	-
50	मेरठ—रेवाड़ी वाया दिल्ली; महाराजपुर	सराय कालेखां,	-	48	2	-	96	-	2	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
	बार्डर, एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौला कुआं	धौला कुआं								
51	मेरठ-एयरपोर्ट वाया महारौल, एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	-	59	24	-	1416	-	12	-
52	मोदीनगर-दिल्ली वाया शाहदरा बार्डर	—	-	11	10	-	110	-	2	-
53	नरोरा-नई दिल्ली रेलवे स्टे० आनन्द विहार, महाराजपुर बार्डर, के०के० क्रॉसिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, मंडी हाउस	शकरपुर आईटीओ	-	18	8	-	144	-	4	-
54	नरोरा-दिल्ली वाया शाहदरा	—	-	17	8	-	136	-	4	-
55	नरोरा-केन्द्रीय सचिवालय वाया सीजीओ, महाराजपुर बार्डर, के०के० क्रॉसिंग,	शकरपुर आईटीओ	-	27	8	-	216	-	4	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
	विकास मार्ग, आईपी मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग									
56	नरोरा-नई दिली रेलवे स्टे० वाया आनन्द विहार, महाराजपुर बार्डर, के०के० क्रासिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग	शकरपुर आईटीओ	-	18	8	-	144	-	4	-
57	नरोरा-एयरपोर्ट वाया नेहरू प्लेस, एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	-	43	4	-	172	-	2	-
58	नरोरा-एयरपोर्ट वाया महारौली, एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	-	51	4	-	204	-	2	-
59	एनटीपीसी-शिवाजी स्टेडि० वाया	—	-	14	28	-	392	-	1	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
	महारापुर बॉर्डर, के०के० क्रासिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग									
60	एनटीपीसी-एयरपोर्ट वाया एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	-	40	14	-	560	-	4	-
61	परीक्षितगढ़-दिल्ली	—	-	11	4	-	44	-	2	-
62	पाटला-दिल्ली	—	-	11	4	-	44	-	1	-
63	राजघाट-दिल्ली	—	-	3	2	-	6	-	2	-
64	रटोल-दिल्ली	—	-	12	20	-	240	-	5	-
65	सरधना-दिल्ली	—	-	11	4	-	44	-	2	-
66	शुक्रताल-दिल्ली	—	-	11	2	-	22	-	1	-
67	सिकन्दराबाद-दिल्ली	—	-	3	28	-	84	-	7	-
68	सियाना-दिल्ली	—	-	1	4	-	4	-	2	-
69	टाण्डा-दिल्ली	—	-	12	8	-	96	-	4	-
70	टान्डा-दिल्ली	—	-	12	22	-	284	-	11	-
	योग-			1488	1107		18183		483	
नोएडा/ग्रेटर नोएडा से परिचालन										
71	नोएडा-एयरपोर्ट वाया डीएनडी ब्रिज, आश्रम, रिंग रोड, धौला कुआं	मेडिकल, धौला कुआं	-	27	14	-	378	-	4	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
72	कासना-एयरपोर्ट वाया डीएनडी ब्रिज, आश्रम, रिंग रोड, धौला कुआं	मेडिकल, धौला कुआं	-	27	10	-	270	-	4	-
73	नोएडा-एयरपोर्ट वाया कालिन्दी कुंज, कालका मोड़ कालमा जी मंदिर, नेहरू प्लेस, चिराग दिल्ली, बसंत विहार, एयरपोर्ट	नेहरू प्लेस, अंधेरिया मोड़	-	26	6	-	156	-	2	-
74	कासना-एयरपोर्ट वाया कालिन्दी कुंज, कालका मोड़ कालमा जी मंदिर, नेहरू प्लेस, चिराग दिल्ली, बसंत विहार, एयरपोर्ट	नेहरू प्लेस, अंधेरिया मोड़	-	26	4	-	104	-	2	-
75	नोएडा-एयरपोर्ट वाया महारौली, कालिन्दी कुंज, कालका मोड़ कालकाजी मंदिर, नेहरू प्लेस, चिराग दिल्ली, अधचीनी गांव, अंधेरिया मोड़, बसंत कुंज, एयरपोर्ट	नेहरू प्लेस, अंधेरिया मोड़	-	34	6	-	204	-	2	-
76	कासना-एयरपोर्ट	नेहरू प्लेस,	-	34	6	-	204	-	2	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
	वाया महारौली, कालिन्दी कुंज, कालका मोड़ कालमा जी मंदिर, नेहरू प्लेस, चिराग दिल्ली, अधचीनी गांव, अंधेरिया मोड़, बसंत कुंज, एयरपोर्ट	अंधेरिया मोड़								
77	कासना-केन्द्रीय सचिवालय वाया डीएनडी ब्रिल, आश्रम, संतनगर, सीजीओ, खान मार्केट, शाहजहां रोड, अकबर रोंड, शास्त्री भवन	आश्रम, सीजीओ, काम्प्लैक्स	-	28	10	-	280	-	4	-
78	नोएडा- केन्द्रीय सचिवालय वाया डीएनडी ब्रिल, आश्रम, संतनगर, सीजीओ, खान मार्केट, शाहजहां रोड, अकबर रोंड, शास्त्री भवन	आश्रम, सीजीओ, काम्प्लैक्स	-	2	12	-	28	-	2	-
79	कासना-नईदिल्ली रेलवे स्टे० वाया एस० स्टे०,समाचार अपार्टमेन्ट नोएडा	प्रगति मैदान, प्लाजा मैरीना	-	18	12	-	216	-	12	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
	क्रासिंग, निजामुद्दीन, प्रगति मैदान, भगवानदास रोड, मंडी हाउस, स्टेड्समैन, मिंटो रोड, एनडीआरएस गेट नं० 2									
80	नोएडा-नई दिल्ली रेलवे स्टे० वाया एस०स्टे०, समाचार अपार्टमेन्ट नोएडा क्रासिंग, निजामुद्दीन, प्रगति मैदान, भगवानदास रोड, मंडी हाउस, स्टेड्समैन, मिंटो रोड, एनडीआरएस गेट नं० 2	प्रगति मैदान, प्लाजा मैरीना	-	18	10	-	180	-	10	-
81	नोएडा-कश्मीरीगेंट वाय शाहदरा, समाचार अपार्टमेन्ट नोएडा क्रासिंग, मदर डेरी, शकर पुर, विकास मार्ग, स्वर्ण सिनेमा, सीलमपुर, शास्त्री पार्क, श्यामगिरी मंदिर	शकरपुर सीलमपुर	-	26	16	-	416	-	12	-
82	कासना-कश्मीरी	प्रगति मैदान	-	26	10	-	260	-	10	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
	गेट वाया शाहदरा, समाचार अपार्टमेन्ट नोएडा क्रासिंग, निजामुद्दीन ब्रिज, रिंग रोड, शांतिवन, यमुना बाजार	क्रासिंग, राजघाट								
83	कासना-कश्मीरी गेट वाया दल्लूपुरा, कांडली क्रासिंग, गाजीपुर मोड, आनन्द विहार, शाहदरा बॉर्डर, सीमापुरी, आनन्द ग्राम, नंद नगरी, ज्योति कॉलोनी, बाबरपुर क्रासिंग, भजनपुरा	आनन्द विहार, भजनपुरा	-	24	8	-	192	-	8	-
84	नोएडा-कश्मीरीगेट वाया दल्लूपुरा, कांडली क्रासिंग, गाजीपुर मोड, आनन्द विहार, शाहदरा बार्डर, सीमापुरी, आनन्द ग्राम, नंदनगरी, ज्योति कॉलोनी, बाबरपुर क्रासिंग, भजनपुरा	आनन्द विहार, भजनपुरा	-	27	4	-	96	-	4	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
85	कासना—फरीदाबाद वाया इंटरनेशनल स्कूल, सरिता विहार, बदरपुर	सरिता विहार, बदरपुर	-	10	6	-	60	-	2	-
86	नोएडा— फरीदाबाद वाया इंटरनेशनल स्कूल, सरिता विहार, बदरपुर	सरिता विहार, बदरपुर	-	10	8	-	80	-	2	-
87	दादरी— फरीदाबाद वाया इंटरनेशनल स्कूल, सरिता विहार, बदरपुर	सरिता विहार, बदरपुर	-	10	2	-	20	-	2	-
88	नोएडा—गुडगांव वाया इंटरनेशनल स्कूल, सरिता विहार, बदरपुर, खानपुर, कुतुब सिकन्दरपुर बॉर्डर	सरिता विहार, बदरपुर	-	27	4	-	108	-	2	-
89	कासना— गुडगांव वाया इंटरनेशनल स्कूल, सरिता विहार, बदरपुर, खानपुर, कुतुब सिकन्दरपुर बॉर्डर	सरिता विहार, बदरपुर	-	27	8	-	216	-	4	-
90	दादरी— गुडगांव वाया इंटरनेशनल स्कूल, सरिता विहार, बदरपुर, खानपुर, कुतुब	सरिता विहार, बदरपुर	-	27	2	-	54	-	2	-

क्रम संख्या	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
			उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
	सिकन्दरपुर बॉर्डर									
	योग –				156		3762		92	
	कुल योग–				1263		21925		575	

टिप्पणी:– उक्त परिचालन उत्तर प्रदेश के अनुमत आईएसबीटी के अलावा अतिरिक्त प्लाइंट्स को छोड़कर दिल्ली के अन्तर्राज्यिकबस अड्डे से शुरू एवं समाप्त होगा। यह परिचालन मैसर्स एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 20-11-97 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 31-12-97 को परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगा।

– उत्तर प्रदेश राज्य व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यातायात की मांग पर निर्भर रहते हुए जब कभी स्थिति उत्पन्न हो, स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं और करार के खण्ड 2(सात) के अनुसार पारस्परिक करार पर आवश्यक विनिश्चय कर सकते हैं।

– बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

अनुलग्नक -घ (घ-1)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रमें स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमितों की संख्या

हरियाणा तथा राजस्थान,

राजस्थान के निजी आपरेटर तथा राज्य परिवहन अंडरटेकिंग हरियाणा

क्रम संख्या	मार्ग	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमितों की संख्या	
		राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा राजस्थान में	राजस्थान	हरियाणा
1	गुगलकोटा-रेवाड़ी वाया बरदो	2	21	48	0	1008	0	12	0
2	गुगलकोटा-रेवाड़ी वाया बावल	2	24	40	0	960	0	10	0
3	मंधन-रेवाड़ी वाया कुंड	3	24	56	0	1344	0	14	0
4	तिजारा-फिरोजपुर झिरका-नीमली-पैडासली-दहीका	16	8	36	0	288	0	9	0
5	तिजारा-रेवाड़ी वाया छांवडी -भोंकर	30	35	16	0	560	0	8	0
6	तिजारा-सोहना वाया छांवडी -भोंकर	31	24	8	0	192	0	4	0
7	तिजारा-सोहना वाया बुढी बवाल-भीवारी-तौरु-सोहना-गुड़गांव	31	57	12	0	684	0	12	0
8	तिजारा-रेवाड़ी वाया माजरा-मंधाना-कोटकासिम	37	14	14	0	196	0	7	0
9	तापुकडा-नूह वाया कोहरी- ग्वालदा	11	12	8	0	96	0	4	0
10	शाहजहांपुर-रेवाड़ी वाया बवाल-तलावा	29	29	8	0	232	0	4	0
11	बदोद-रेवाड़ी वाया जाट भोर-सनोली-भोजपुरा	31	21	16	0	336	0	8	0
12	अलवर-फिरोजपुर जिरका वाया बलह-तेहगाड़ा-नाइका-पिपरोली-भैसडोली-बिजवा- नौगांव	56	14	12	-	168	0	6	0
13	सारेगांव-धारुहेड़ा वाया खेड़ी-भोगीपुरा-तावरु शहर- सुनारी एक्सटेंडेंड अपटू रेवाड़ी वाया मसानी-जोनावास	12	36	12	0	432	0	3	0

क्रम संख्या	मार्ग	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
		राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा राजस्थान में	राजस्थान	हरियाणा
14	माजरा-कानवस-रेवाड़ी-बसई-नांगल-खुटिना	16	18	12	0	216	0	3	0
15	रेवाड़ी-कोटकासिम	10	17	30	0	300	0	0	5
		317	354	328	0	7012	0	104	5

टिप्पणी:- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

अनुलग्नक -घ (घ-II)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रमें स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

राजस्थान तथा हरियाणा

राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम संख्या	मार्ग	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
		राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा राजस्थान में	राजस्थान	हरियाणा
1	अलवर-दिल्ली वाया रामगढ़-नौगांव-फिरोजपुर झिरका-सोहना-गुड़गांव	40	103 31दि.	20	30	2060	1200	10	15
2	अलवर-फरीदाबाद वाया रामगढ़- नौगांव-फिरोजपुर झिरका-तौरु-सोहना-पलवल	40	120	2	2	240	80	1	1
3	अलवर-दिल्ली वाया किसान घर बस-तिजारा-तपकुरा-भिवाड़ी-तौरु-सोहना-गुड़गांव	93	56 31दि.	4	0	224	0	2	0
4	अलवर-दिल्ली वाया तिजारा-भिवाड़ी-धारुहेड़ा-मनेसर-	93	20 31दि.	30	8	1470	744	15	4

क्रम संख्या	मार्ग	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
		राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा राजस्थान में	राजस्थान	हरियाणा
	गुड़गांव								
5	रेवाड़ी-अलवर वाया धारुहेड़ा-भिवाड़ी-तिजारा-किसानघरबस	93	20	4	2	80	186	2	1
6	रेवाड़ी-अलवर वाया बोलनी-आलमपुर-बीबीरानी-किसान घरबस	70	17	4	2	80	186	0	0
7	रेवाड़ी-खैरथल वाया बोलनी-आलमपुर-कोटकासिम-बीबीरानी	41	17	4	0	68	0	2	0
8	खैरथल-दिल्ली वाया हरसोली-बीबीरानी-कोटकासिम-बोलनी-धारुहेड़ा-गुड़गांव	41	71	6	0	426	0	3	0
9	खैरथल-दिल्ली वाया तिजारा-भिवाड़ी धारुहेड़ा-गुड़गांव	65	49	4	0	196	0	2	0
10	तिजारा-दिल्ली वाया भिवाड़ी-धारुहेड़ा- गुड़गांव	38	49 31दि.	20	8	980	304	10	4
11	तिजारा-फरीदाबाद वाया भिवाड़ी-तावरू-सोहना	37	57	6	0	342	0	3	0
12	अलवर-पानीपत वाया तिजारा	91	118	2	2	236	182	2	1
13	अलवर-मेरठ वाया दिल्ली	38	111 42दि. 56 उ.प्र.	4	0	0	444	4	0
14	अलवर-रोहतक वाया कोटपुतली-रेवाड़ी (नोट:- हांलांकि कटपुतली राष्ट्रीय	105	70	0	2	0	210	0	2

क्रम संख्या	मार्ग	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
		राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा राजस्थान में	राजस्थान	हरियाणा
	राजधानी क्षेत्रसे बाहर हैं लेकिन बस शुरू और समाप्त होने के दोनों स्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रमें है।)								
15	खैरथल-हस्तिनापुर वाया दिल्ली	55हरि. 38दि. 99उ.प्र.	69	0	2	0	110	0	2
16	फरीदाबाद-अलवर वाया सोहना-किशनगढ़	कुछ नहीं	93	2	0	186	0	1	0
17	झज्जर-अलवर वाया रेवाड़ी-कोटकासिम-किशनगढ़	कुछ नहीं	70	2	0	140	0	1	0
18	रेवाड़ी-कोटकासिम	10	17	30	0	300	0	0	5
						7038	3600		
	प्रस्तावित								
19	अलवर-दिल्ली वाया नौगांव सोहाना	38			4		142		02
20	गुरुग्राम-दिल्ली-अलवर	90	54	10	4	540	360	5	02
21	पलवल-दिल्ली-अलवर	60			10		600		05
22	तिजारा-फिरोजपुर-जिरका	16	6	6	06	36	96	3	03
23	तपुकड़ा-नूह वाया खोरी गौलदा	11			04		44		02
24	पलवल-दिल्ली-अलवर वाया सोहना	40			10		400		05
25	रेवाड़ी-अलवर वाया बोलनी बिबरानी, किशनगढ़	70	20	4	4	80	280	2	02
						656	1922		

टिप्पणी:- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

अनुलग्नक -ड

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमितों की संख्या

उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा

राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम संख्या	मार्ग	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमितों की संख्या	
		हरियाणा	उत्तर प्रदेश	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	हरियाणा द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश द्वारा हरियाणा में	हरियाणा	उत्तर प्रदेश
1	बड़ौत-कांधला-पानीपत	20	45	0	20	0	400	0	4
2	बड़ौत-सोनीपत	21	15	16	36	240	756	4	2
3	ब्रजघाट-गढ़-मेरठ-बागपत-सोनीपत	20	160	2	8	320	160	1	4
4	दादरी-फरीदाबाद	17	43	0	24	0	408	0	8
5	दादरी-गुड़गांव	10	43	0	8	0	80	0	2
6	कासना-फरीदाबाद	17	41	0	20	0	340	0	5
7	लोनी मोड़-सोनीपत	20	35	0	16	0	320	0	4
8	मेरठ-अलवर वाया दिल्ली	103	67	0	2	0	206	0	2
9	मेरठ-फरीदाबाद	17	67	0	14	0	238	0	7
10	मेरठ-गुड़गांव	10	67	0	14	0	140	0	7
11	नोएडा-से0 62-फरीदाबाद	17	20	50	28	1000	476	10	7
12	नोएडा-से0 62-गुड़गांव	10	20	50	20	1000	200	10	5
13	बड़ौत-दिल्ली-फरीदाबाद	17	45	0	20	0	340	0	5
14	सोनीपत-बागपत	21	7	50	36	350	756	5	0
15	पानीपत-मेरठ	20	99	2	0	198	0	1	0
16	बड़ौत-फरीदाबाद वाया कश्मीरीगेट-सराय कालेखां	17	52	0	8	0	136	0	4
17	बड़ौत-गुड़गांव वाया कश्मीरीगेट-धौलाकुआं	10	52	0	8	0	80	0	4
18	बड़ौत-कश्मीरीगेट-नरेला वाया बहालगढ़	78	52	0	12	0	936	0	6

क्रम संख्या	मार्ग	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
		हरियाणा	उत्तर प्रदेश	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	हरियाणा द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश द्वारा हरियाणा में	हरियाणा	उत्तर प्रदेश
19	बिनौली-बड़ौत-कश्मीरी गेट अलवर	103	73	0	4	0	412	0	4
20	बड़ौत-पलवल वाया कश्मीरी गेट	42	52	0	12	0	504	0	6
21	बड़ौत-अलवर वाया गुड़गांव	103	52	0	6	0	618	0	6
22	कासना-फरीदाबाद	17	17	0	20	0	340	0	3
23	कासना-गुड़गांव	10	17	0	8	0	80	0	4
24	बड़ौत-रोहतक वाया सोनीपत	70	15	0	10	0	700	0	5
25	झज्जर-नोएडा वाया आईएसबीटी दि०	45	20	20	0	400	0	5	0
26	मेरठ-सोनीपत	23	59	4	4	236	92	2	2
27	हस्तिनापुर-सोनीपत वाया दौराला-बड़ौत	23	98	0	24	0	552	0	12
28	खुर्जा-जेवर-गुड़गांव	78	45	0	2	0	156	0	1
29	मेरठ-रेवाड़ी	110	67	0	2	0	220	0	2
30	सिकन्दराबाद-जेवर-बल्लभगढ़	42	60	0	4	0	168	0	2
31	छपरौली-दिल्ली-फरीदाबाद	17	59	0	12	0	204	0	6
32	पलवल-बुलन्दशहर	22	54	4	0	216	0	1	0
33	बुलन्दशहर-दिल्ली-गुड़गांव	10	53	0	4	0	40	0	2
34	दिल्ली-बुलन्दशहर	59	54	2	0	108	0	1	0
35	बुलन्दशहर-गुड़गांव वाया जेवर, पलवल	69	54	0	8	0	552	0	4
	योग —	1288	1779	200	414	4068	10610	40	135

प्रस्तावित मार्ग

क्रम संख्या	मार्ग	किलोमीटर		एकल फरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
		हरियाणा	उत्तर प्रदेश	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	हरियाणा द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश द्वारा हरियाणा में	हरियाणा	उत्तर प्रदेश
1	भिवाड़ी-गढ़-हापुड़-वाया दिल्ली		47	02		94		01	
2	गढ़-दिल्ली		66	02		528		01	
3	फरीदाबाद-गाजियाबाद वाया दिल्ली		14	16		224		04	
4	फरीदाबाद-बुलन्दशहर वाया दिल्ली	--	75	04	--	300	--	02	--
5	करनाल-गाजियाबाद वाया दिल्ली		108	02		216		02	
6	पानीपत-मुजफ्फरनगर	--	68	04	--	272	--	02	--
7	पलवल-बुलन्दशहर वाया दिल्ली	--	75	04	--	300	--	02	--
8	सोनीपत-बड़ौत		16	12		192		06	
योग							1254		
9	मेरठ-शामली-बिडौली-करनाल	25	100	--	20	--	500	--	05
10	मेरठ-बागपत-सोनीपत	21	59	--	16	--	336	--	04
11	मुजफ्फरनगर-जिंद वाया पानीपत	92	57	--	04	--	228	--	02
12	खुर्जा-जेवर-पलवल-बल्लभगढ़	42	54	--	4	--	168	--	2
13	बुलन्दशहर-जेवर-पलवल-बल्लभगढ़	42	54	--	4	--	168	--	2
14	बुलन्दशहर-रेवाड़ी-वाया जेवर-पलवल-सोहना-धरुहेड़ा	98	54	--	4	--	392	--	2
15	बुलन्दशहर-सोनीपत वाया मेरठ-बागपत	21	136	--	4	--	84	--	2

क्रम संख्या	मार्ग	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
		हरियाणा	उत्तर प्रदेश	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	हरियाणा द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश द्वारा हरियाणा में	हरियाणा	उत्तर प्रदेश
16	बुलन्दशहर-करनाल-वाया मेरठ-शामली-बिडौली	25	177	--	4	--	100	--	2
	योग -						1976		

टिप्पणी:- निजी क्षेत्र की बसों का परिचालन आपसी सहमति के आधार पर अलग से किया जायेगा।

- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

अनुलग्नक—च

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश

राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम संख्या	मार्ग	किलोमीटर		एकल फेरे		परिचालन किलोमीटर		परमिटों की संख्या	
		उत्तर प्रदेश	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	राजस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश द्वारा राजस्थान में	उत्तर प्रदेश	राजस्थान
1	मेरठ—अलवर वाया दिल्ली, गुड़गांव	58	38	2	2	116	76	2	2
2	बिनौली—बड़ौत—कश्मीरी गेट—अलवर	73	38	4	0	0	152	4	0
3	बड़ौत—अलवर वाया गुड़गांव	52	38	6	0	0	228	6	0
4	खैरथल—हस्तिनापुर वाया दिल्ली—मेरठ	69	99	2	0	198	0	0	2
	योग	252	213	14	2	314	456	12	4

टिप्पणी:— बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

(शत्रुजीत कपूर)
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग